न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोंक राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री हुकमीचन्द रोहलानिया, (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– 253 / 2016

प्रविष्टि दिनांक:–26.7.2016

वादीगण :–

1. हनुमान पुत्र भूदर जाति मीणा निवासी ग्राम नवाबपुरा, तहसील व जिला टोंक (राजस्थान)
2. बजरंगी पुत्री भूदर जाति मीणा निवासी ग्राम नवाबपुरा, तहसील व जिला टोंक (राजस्थान)
3. प्रेम पुत्री भूदर जाति मीणा निवासी ग्राम नवाबपुरा, तहसील व जिला टोंक (राजस्थान)
4. मनभर पुत्री भूदर जाति मीणा निवासी ग्राम नवाबपुरा, तहसील व जिला टोंक (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. श्योनारायण पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम नवाबपुरा तहसील टोंक, हाल निवासी भगवानपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक (राजस्थान)
2. श्योदास पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम नवाबपुरा तहसील टोंक, हाल निवासी भगवानपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक (राजस्थान)
3. श्योप्रसाद पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम नवाबपुरा तहसील टोंक, हाल निवासी भगवानपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक (राजस्थान)
4. द्वारका पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम नवाबपुरा तहसील टोंक, हाल निवासी भगवानपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक (राजस्थान)
5. हरनारायण पुत्र भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम नवाबपुरा तहसील टोंक, हाल निवासी भगवानपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक (राजस्थान)
6. अजोध्या पुत्री भूरा, जाति मीणा निवासी ग्राम नवाबपुरा तहसील टोंक, हाल निवासी भगवानपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक (राजस्थान)
7. कोशल्या पुत्री भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम नवाबपुरा तहसील टोंक, हाल निवासी भगवानपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक (राजस्थान)
8. पांची बेवा भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम नवाबपुरा तहसील टोंक, हाल निवासी भगवानपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक (राजस्थान)
9. प्रहलाद वल्द केसरा जाति मीणा निवासी ग्राम नवाबपुरा तहसील व जिला टोंक
10. तहसीलदार टोंक

दावा बाबत उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

धारा 88, 92 ए, 188 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थित :–श्री राधेश्याम धाकड़ –वादीगण की ओर से।

निर्णय

दिनांक–3/2/25

अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि ख.न. 151 रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम नवाबपुरा, तहसील व जिला टोंक मे स्थित है जो वादीगण के पिता ताउ भूरा वल्द किशना मीना की तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी थी जो जमाबंदी संवत 2015 से 2018 मे उनके नाम बहैसियत खातेदार के अंकित थी। उक्त साबित खसरा नंबर के सैटलमेन्ट के दौरान हाल खसरा नंबर 233 रकबा 10 व ख.न. 236 रकबा 14 बिस्वा बनाये गये। उक्त हाल खसरा नंबर 236 को तो वादीगण के ताउ भूरा वल्द किशना के लाऔलाद फोत होने के कारण वादीगण के पिता भूदर वल्द किशना के नाम अंकित कर दिया गया तथा भूदर के फोत होने पर वादीगण के नाम अंकित हो गई। परन्तु खसरा नंबर 233 रकबा 10 बिस्वा का 122 हिस्से की भूमि को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के पिता व पति भूरा वल्द मन्ना के नाम तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 9 के नाम सैटलमेन्ट अधिकारियो व कर्मचारियो ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश अथवा डिक्री के अंकित कर दी। जबकि उक्त आराजी वादीगण के पिता व ताउ की तन्हा खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी थी।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज)

Scanned with OKEN Scanner

उक्त आराजी से प्रतिवादीगण या उनके पूर्वजो का कोई संबध नही है, उनके नाम गलत रूप से अंकित कर दी। उक्त भूमि पर वादीगण का उनके पूर्वजो से ही कब्जा चला आ रहा है। अतः उक्त भूमि ख.न. 233 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम नवाबपुरा तहसील टोंक का वादीगण को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम अमल दरामद किया जावे, त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरूस्त किया जावे। उक्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम गलत रूप से अंकित होने के कारण वे उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर अमादा है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नक्शा ट्रेस, जमाबंदी संवत 2015–2018 प्रदर्श–2, जमाबंदी बन्दोबस्त संन 1942 हैदर साहब उर्दू व हिन्दी रूपान्तरण प्रदर्श–3, 2069–72,, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात अधिवक्ता वादीगण के उपस्थित नही होने के कारण प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया।

अधिवक्ता वादी की ओर से प्रार्थनापत्र बाबत नंबर पर लिये जाने प्रकरण प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार उक्त उनवानी प्रकरण मे बाज दायरी नं0 34/2019 स्वीकार कर लिया गया है अतः मूल प्रकरण को सुनवाई हेतु नंबर पर लिया जावे।

प्रार्थनापत्र स्वीकार कर प्रकरण को पुनः नंबर पर लिया गया।

प्रकरण मे पैरोकार सरकार की रिपोर्ट ली गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दावा मुताबिक रिकार्ड साबिक खसरा नंबर 151 रकबा 12 बिस्वा जमाबंदी संवत 2015–2018 के अनुसार स्वीकार है। वादी द्वारा वाद पत्र मे प्रस्तुत साबिक रिकार्ड ग्राम नवाबपुरा जमाबंदी संवत 2015–2018 के खाता सं0 27 के अनुसार ख.न. 151 रकबा 12 बिस्वा भूमि वादी के पूर्वजो के नाम दर्ज रिकार्ड थी। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त खसरा नंबर 151 रकबा 12 बिस्वा के नवीन ख.न. 233 रकबा 10 बिस्वा व ख.न. 236 रकबा 2 बिस्वा बने है। भू–प्रबन्ध के दौरान ख. न. 236 तो वादी के नमा हो गया तथा 233 रकबा 10 बिस्वा को प्रतिवादीगण के नाम गलत रूप से बिना किसी आधार के दर्ज कर दिया गया । वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा यथावत है। वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

संलग्न मौका पर्चा मे अंकितानुसार विवादित भूमि मे वर्तमान मे गेहू की फसल काश्त है। उपस्थित लोगो ने बताया कि वर्तमान मे ख.न. 233 मे हनुमान पुत्र भूदर निवासी नवाबपुरा द्वारा फसल काश्त कर रखी है तथा इस भूमि पर हनुमान पुत्र भूदर का ही कब्जा है।

प्रकरण मे साक्ष्य वादी के दौरान जमाबंदी बन्दोबस्त संन 1942 हैदर साहब हिन्दी व उर्दू , जमाबंदी संवत 2015–18, मिलान क्षेत्रफल, भू–प्रबन संवत 2028–47, जमाबंदी संवत 2073–2076, नक्शा ट्रेस, खसर गिरदावरी संवत 2073–2076 आदि प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण मे सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण को बार बार आवाजे लगाई गई परन्तु कोई उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण के द्वारा कोई जवाब भी प्रस्तुत नही किया गया।

अधिवक्ता वादीगण ने अपने पक्ष मे पी0डब्ल्यू–1 स्वयं हनुमान के बयान करवाये।

इसके पश्चात प्रकरण मे एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने बहस के दौरान अपने तथ्यों को दोहराया।

हमने वाद पत्र, साक्ष्यो का अवलोकन किया एवं विद्ववान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। वाद पत्र मे वादीगण द्वारा अंकित किया गया है कि ख.न. 151 रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम नवाबपुरा, तहसील व जिला टोंक वादीगण के पिता व ताउ भूरा वल्द किशना मीना की खातेदारी की आराजी थी जिसका अंकन जमाबंदी संवत 2015 से 2018 मे है जिसके हाल खसरा नंवर 233 रकवा 10 को प्रतिवादी सं0 9 के नाम सैटलमेन्ट अधिकारियो ने अंकित कर दी। इस तथ्य का परीक्षण करने पर पाया गया कि जमाबंदी संवत 2015–18 मे अंकितानुसार उक्त भूमि भूरा व भूदर पि0 किशना जाति मीना सा. देह बाट बराबर खातेदार अंकित है यह जमाबंदी वाद पत्र के तथ्यो की पुष्टि करती है साथ ही साबिक खसरा नंबर 151 के हाल खसरा नंवर 233 की पुष्टि मिलान क्षेत्रफल से होती है। जमाबंदी बन्दोबस्त संन 1942 हैदर साहव हिन्दी व उर्दू मे ख.न. 151 किशना वल्द भैरू के नाम अंकित है। लेकिन सैटलमैन्ट के पश्चात बनी जमाबंदी मे भूरा वल्द मन्ना, प्रहलाद वल्द केसरा अंकित है। इस अंकन परिवर्तन के संबध मे जमाबंदी मे मे किसी प्रकार का नोट भी अंकित नही है कि उक्त परिवर्तन किस प्रकार किया गया। अपितु अंकन काफी पुराना है लेकिन अंकन त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। संभवतः उक्त त्रुटि सैटमेन्ट के दौरान खातेदारो के नाम व जाति की समानता के कारण हुई हो। क्योकि

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज)

Scanned with OKEN Scanner

केवल राजस्व प्रविष्ट्यिों द्वारा किसी के अधिकार , स्वत्व, हित का सृजन अथवा समाप्त नही कर सकती, जब तक कि प्रविष्ट्यिा सक्षम प्रधिकारी द्वारा पारित वैध आदेश पर आधारित नही है। प्रस्तुत प्रकरण मे भी सीधे ही प्रविष्टि वादीगण के पूर्वजो के स्थान पर प्रतिवादीगण के पूर्वजो के नाम दर्ज हो गई। पैरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी से साबित है कि विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा है साथ ही प्रतिवादीगण को बावजूद तामील के उपस्थित नही होना वाद पत्र के तथ्यों की स्वीकारोक्ति को दर्शाता है। इसलिए यह न्यायालय वादीगण का वाद साक्ष्य दस्तावेजो एवं पैरोकार सरकारी की अभिशंषा के अलोक मे स्वीकार करना उचित समझता हैं।

आदेश

अतः वादीगण का वादपत्र बाबत उदघोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर, वादीगण को खसरा नंबर 233 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम नवाबपुरा, पटवार हल्का पालडा, तहसील व जिला टोंक का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर, वादीगण के नाम खातेदारी अंकित की जावे। डिक्री पर्चा जारी होकर, पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 3/2/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हुक्मीचन्द रोहलानिया)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज)

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)